

## उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग

प्रपत्र VI

समाहर्ता या समुचित सरकार  
प्रारम्भिक अधिसूचना


(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

चुकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-बंड़ीया, थाना-कटकमसांडी, थाना-सां0-35, अंचल-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना ग्राम-बंड़ीया, हजारीबाग कटकमसांडी चतरा रोड़, हजारीबाग निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को पशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-बंड़ीया, थाना-कटकमसांडी, थाना-सां0-35, अंचल-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.17 एकड़ यानि 0.068826 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है जो निम्नवत है:-

क्र. सं०	खता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वागित व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन किया जाने वाला क्षेत्रफल(एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12	738	नीज	टांड- 11	0.01	धरम गोप वगै० पिता स्व० रुपन गोप सा० बंड़ीया	प्लॉट नं०-738 अंश	रास्ता	प्लॉट नं० 739	सीमाना कटकमसांडी
2	17	739	नीज	टांड- 11	0.16	बिनोद कुमार भण्डारी पिता पी० एन० भण्डारी	प्लॉट नं०-739 अंश	रास्ता	प्लॉट नं० 739 का अंश	सीमाना कटकमसांडी
<b>कुल</b>					<b>0.17</b>					


भूमि की योजना का निरीक्षण जिल भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवमार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

  
 समाहर्ता-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
 हजारीबाग।

ज्ञापांक 1236 / भू०अ० दिनांक 23.09 / 2019

- प्रतिलिपि- 1. सचिव, राजस्व निबंधक, भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।  
 2. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची का प्रारम्भिक अधिसूचना की हाई एवं साफ्ट प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।  
 3. सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, हजारीबाग को प्रारम्भिक अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के वेबसाईट पर सूचना प्रकाशित किया जाय।  
 4. प्रगारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, हजारीबाग को प्रारम्भिक अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अगामी जिला गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।  
 5. अनुमण्डल पदाधिकारी, कटकमसांडी/अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को प्रारम्भिक अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
 6. जिला अवर निबंधन कार्यालय, हजारीबाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।  
 7. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रण्डल, हजारीबाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।  
 8. अध्यक्ष, जिला परिषद हजारीबाग/मुखिया ग्राम पंचायत बंड़ीया को प्रारम्भिक अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
 9. कार्यालय का सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
 समाहर्ता-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
 हजारीबाग।